NEW ERA AGRICULTURE MAGAZINE

अधिगम की प्रक्रिया

ज्योति विश्वकर्मा एवं विशाल यादव

परिचय

''सीखने की सामाजिक प्रक्रिया मूल्यवान है और उसके साथ समन्वित होकर औपचारिक पाठ्यचर्या में और अधिक समृद्धि आएगी'' प्राक्कथ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम का सामान्य अर्थ है '' सीखाना''। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है तथा वह अपनी इस प्रवृत्ति एवं आवश्यकता के कारण नित नये अनुभवों को ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता रहता है। इस प्रकार अधिगम मानवीय व्यवहार का वह महत्वपूर्ण पक्ष है जो व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार–परिमार्जन के रूप में परिलक्षित होता है। व्यक्ति अपने भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ सतत् अन्तक्रिया करता रहता है जिससे प्राप्त अनुभव के आधार पर व्यवहार में बदलाव लाता है जो कि अपेक्षाकृत स्थायी होता है तथा भविष्य की परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होता है, अधिगम के रूप में अभिहित किया जाता है। अधिगम अपने आप में एक क्रिया एवं क्रिया का उत्पाद या परिणाम, दोनों ही है। अधिगम की प्रक्रिया दो रूपों में पायी जाती है एक अनौपचारिक अधिगम प्रक्रिया, जिसके लिये किसी विशेष नियोजन एवं आयोजन की आवश्यकता नहीं होती अपितु वह कभी समाप्त न होने वाली घटना है जो जीवनपर्यन्त चलती रहती है। इस रूप में अधिगम सहज एवं स्वतः स्फूर्त स्वाभाविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है तथा व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप मं` समाज के साथ अन्तर्क्रिया करते हुये उसमें प्रतिभाग करता है। दूसरे औपचारिक अधिगम प्रक्रिया, जो सुनियोजित एवं संगठित रूप में शिक्षा संस्थाओं में नियोजित एवं आयोजित की जाती है। जब हम इस रूप में अधिगम की बात करते है तो प्रायः हमारा ध्यान विद्यालय में होने वाली गतिविधियों की ओर जाता है और अधिगम को शिक्षा, विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा का उत्पाद मानकर व्यवहार किया जाता है।

अधिगम के लिए शिक्षा की औपचारिक संस्था

ज्योति विश्वकर्मा (सहायक प्राध्यापक), रफ्फलेस युनिवर्सिटी नीमराना, राजस्थान

विशाल यादव (शोध छात्र), प्रसार शिक्षा विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या–224229 (उ0प्र0)

के रूप में विद्यालय की स्थापना अधिगम का सुनियोजित एवं संगठित रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से ही किया गया जहाँ एक निश्चित समयावधि में निर्धारित योजना के अनुरूप दक्षता प्राप्त व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के द्वारा अधिगम के लिए सृजित उचित वातावरण में अधिगम के घटित होने का उपक्रम किया जाता है। इस प्रकार पायेंगे कि विद्यालय का जन्म समाज के द्वारा की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, मूल्यों विश्वासों के अनुरूप अधिगम के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर उसे औपचारिक रूप से संचालित करने वाली संस्था के रूप में हुआ धीरे–धीरे अधिगम को औपचारिक शिक्षा से जोड़कर देखा जाने लगा तथा उसको पूरी तरह से विद्यालय की जिम्मेदारी ठहरा दिया गया यह माना गया कि विद्यालय बालको ं के सर्वांगीर्ण विकास एवं अधिगम के लिए विशिष्ट वातावरण तैयार करने वाली संस्था है जिसका एकमात्र उद्देश्य ही वही है तथा ऐसा वातावरण तैयार कर पाना परिवार, समाज, राज्य, धर्म या किसी अन्य सामाजिक अभिकरण के लिए सम्भव नहीं हैं क्योकि यह इन संस्थाओं का प्राथमिक कार्य ही नही है। शिक्षा के इन अनौपचारिक अभिकरणों की अधिगम में` किसी महत्वपूर्ण भूमिका को न मानते हुए अधिगम को विद्यालय की चहारदीवारी में कैद कर दिया गया है। इस बात को और अधिक बल विज्ञान और तकनीकी के बढ़ते प्रभाव से मिला जब यह मान लिया गया कि आज छोटे–छोटे कार्य को करने के लिए विशिष्ट ज्ञान प्रशिक्षण एवं दक्षता प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता है जो उसके लिए दक्ष अभिकरण द्वारा ही सम्भव है तो अधिगम कैसे उससे अलग हो सकता है। इस प्रकार अधिगम को विद्यालय की परिधि तक सीमित रखकर उसे दक्षता प्राप्त व्यक्तियों की जिम्मेदारी मानते हुए अधिगम का संस्थानीकरण कर दिया गया जिसकी परिणति यह है कि अधिगम को केवल विद्यालय रूपी संस्था की जिम्मेदारी ठहरा दिया गया है। किन्तु अधिगम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह होता है जिसके लिए हमेशा किसी विशेष सचेतन, सोद्देश्य एवं सुनियोजित प्रयास की आवश्यकता नहीं होती अपितु व्यक्ति अनुकरण एवं आचरण द्वारा ग्रहण कर लेता है। अनुकरण, आचरण और प्रभाव या छाप को अधिगम का साधन मानकर एक लम्बे समय तक शिक्षा का आयोजन होता रहा किन्तु बाद में शिक्षा के संस्थानीकरण के साथ विद्यालय एवं विशेष रूप से शिक्षक केन्द्रित शिक्षा द्वारा बालकों के व्यवहार परिवर्तन का प्रयास होता

रहा तथा बालक एक निष्क्रिय ग्राही के रूप में स्वीकार किया जाता रहा जिससे विद्यालय, पाठ्यवस्तु, तथा शिक्षक को प्राथमिक स्थान मिला। धीरे–धीरे मनोविज्ञान में प्रयोगों का दौर शुरू हुआ तथा अधिगमकर्ता केन्द्रित शिक्षा की अवधारणा के साथ अधिगम को उद्दीपक–अनुक्रिया सम्बन्धों के रूप में देखा जाने लगा जहाँ माना जाने लगा कि अधिगम तब तक नही हो सकता जब तक कि वह आवश्यकता द्वारा प्रणोदित व अभिप्रेरित न हों या किसी उद्दीपक द्वारा अनुप्रेरित न हों। समीपता, बारम्बारता, अभ्यास, संयोजन या बन्ध प्रयास एवं त्रुटि, उद्दीपक–अनुक्रिया का क्रम आदि अनेकों विविध प्रयोगों के आधार पर अधिगम को समझने का प्रयास होता रहा। इसी क्रम में संज्ञानात्मक विचारधारा का भी प्रभाव दिखाई देने लगा। जब संवेदन से प्रत्यक्षीकरण की ओर बढ़कर अधिगम को समझने का प्रयास होने लगा। प्रत्यक्षीकरण को समग्राकृति के रूप में अधिगम की प्रक्रिया के निर्वचन के प्रयास में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान तथा बाद में क्षेत्र मनोविज्ञान स्थलीकृति (टोपोलॉजिकल) मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा तथा अधिगम की प्रक्रिया एवं उसको प्रभावित करने वाल` कारणों की नयी व्याख्या प्रचलित हुयी। इस प्रकार अनुभवों के अर्जन के स्वरूप तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर अधिगम के विभिन्न उपागमों एवं सिद्धान्तों का जन्म हुआ जिससे अधिगम की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है।

अधिगम को चाहें व्यवहारवादी उपागम की दृष्टि से देखें या संज्ञानात्मकतावादियों की दृष्टि से अधिगम की सम्पूर्ण प्रक्रिया में वातावरण का विशेष महत्व है जिसके सृजन का दायित्व विद्यालय द्वारा अकेले वहन कर पाना सम्भव नही है। चाहे वह अधिगम के लिए आवश्यकता का सृजन करना हो या प्रणोदन एवं अभिप्रेरणा को सही दिशा देकर अधिगमकर्ता को अधिगम लक्ष्य की ओर अग्रसर करना या अधिगमकर्ता की आधारभूत शाक्तियों को समझकर उसका अधिकतम उपयोग उपयोग अधिगम के लिए करने में सहायता देना या फिर अधिगम के मार्ग की बाधाओं को समझना एवं उन्हें दूर कर अधिगम के लिए सहूलियत देना, अधिगम के हर सोपान में विद्यालय के अतिरिक्त समाज की अन्य संस्थाओं जैसे–परिवार, समाज, राज्य, धर्म, राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं व सास्कृतिक संस्थाओं, व्यावसायिक माध्यमों जैसे–रेडियों, दूरदर्शन, इण्टेरनेट, सिनेमा, पत्र–पत्रिकाओं आदि जो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण हैं, की महत्वपूर्ण

भूमिका है। ये सभी विद्यालयेतर अभिकरण अधिगम के लिए उचित वातावरण का सृजन कर अधिगम के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होते है। इस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया को केवल विद्यालय तक सीमित रखना अधिगम के अवसर को सीमित कर देने के समान होगा।